बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय वस्तु
01	**मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना**
1.1	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
1.2	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
1.3	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
1.4	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
1.5	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
1.6	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना
1.7	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना
1.8	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
1.9	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना
1.10	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना
1.11	मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
1.11.1	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
1.11.2	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
1. (क)	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के वृद्ध, निःशक्त, विधवा, कुष्ठ रोगी, एड्स रोगी आदि को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुँचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. छत्र–योजना का विवरण

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी :–

2.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इसके तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य पेंशन योजनाएँ तथा मासिक सहायता की योजनाएँ होंगी जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना; राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मासिक सहायता की बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना। तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि प्रदान की जायेगी। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत वृद्धजनों (60–64 वर्ष) का नामांकन पिछले चार वर्षों से भी अधिक से बंद होने के कारण वर्तमान में कोई वृद्धजन लाभुक नहीं रह जाने चाहिए तथा विमुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वर्णित अन्य योजना में आच्छादित हों सकने के कारण यह योजना पृथक रूप से संचालनीय नहीं रह गई।

2.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना होंगी, जिसके अन्तर्गत परिवार के मुखिया के मृत्योपरांत उनके आश्रित/निकटतम संबंधी को एकमुश्त अनुदान देय है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत एकमुश्त अनुदान अन्त्येष्टि क्रिया हेतु देय है।

Scanned by CarbonScanner

2.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

यह एकीकृत योजना होगी जिसके अन्तर्गत निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी।

3. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा :

3.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 80 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजन, विधवा एवं निःशक्तजन के लिए अलग–अलग देय राशि है। अति वृद्धजन को छोड़कर अन्य पात्र लाभुकों को एक समान राशि का लाभ देने हेतु अन्तर राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है। इसी प्रकार जो लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित प्रात्रता नहीं रखते हैं परन्तु राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत योग्य पात्र हैं उनका भुगतान राज्य योजना से देय है। इसके अतिरिक्त मासिक सहायता योजनाएँ अन्तर्गत बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना की राशि राज्य योजना से देय है।

3.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इसके लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

4. देय राशि

इस छत्र योजना अन्तर्गत उक्त मदों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दरें लागू होगी।

4.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए रू. 500 प्रतिमाह तथा शेष सभी पेंशन योजनाओं के आच्छादित लाभुको को रू. 400 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। मासिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आच्छादित लाभुको को रू. 1,500 प्रतिमाह की दर से भुगतान कर आर्थिक सहायता दी जाती है।

4.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए एकमुश्त रू. 20,000 एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए एकमुश्त रू. 3,000 की सहायता दी जाती है।

4.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इस योजना अन्तर्गत पात्र लाभुको को रू. 1,00,000 अनुदान के रूप में दी जाती है।

Scanned by CarbonScanner

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :–

5.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

(i) **वृद्धजन** – बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(ii) **विधवा महिला** – बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40 वर्ष या अधिक हो वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं आय रू. 60,000 या उससे कम हो वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(iii) **दिव्यांगजन** – बी.पी.एल. परिवार के 18–79 वर्ष या अधिक आयु के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत तथा किसी भी आय एवं आयु के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(iv) **कुष्ठ या एड्स पीड़ित** – Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के एड्स रोगी बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(v) दिव्यांगजन के सदृश तेजाब हमले से पीड़ित भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे। वैसे तेजाब पीड़ित, जो बिहार के मूल निवासी हो या तेजाब हमले की घटना बिहार में हुई हो, को पेंशन देते हुए दिव्यांगता की न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत की शर्त को विलोपित किया गया है।

(vi) एक से अधिक पेंशन एवं मासिक सहायता योजना में पात्रता होने पर लाभार्थी की स्वेच्छा अथवा अधिकतम लाभ वाली योजना अंतर्गत ही पात्रता मानी जाएगी।

5.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

(i) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** : बी.पी.एल. परिवार के 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक–संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।

(ii) **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना** : किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा। उदाहरणस्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

(iii) **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना** : बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा।

5.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसे विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप यदि पति–पत्नी

Scanned by CarbonScanner

दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह– दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

योजना	आवेदन	कहाँ/ किसके समक्ष	अनुमोदन
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	BDO	BDO
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के केन्द्र	
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	सादे कागज में	SDO	SDO
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	सादे कागज में	मुखिया (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) वार्ड कमिश्नर (शहरी क्षेत्र हेतु)	
मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	विहित प्रपत्र में	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग / जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय	जिला पदाधिकारी

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

(i) बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में राशि एड्स कन्ट्रोल सोसायटी को दी जायेगी।

(ii) इस छत्र योजना अंतर्गत अन्य सभी योजनाओं के लिए अलग–अलग बैंक खाता 'सक्षम' में संधारित होगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में State Level DBT के द्वारा एवं अवशेष अन्य सभी योजनाओं में Parent & Child Account की पद्धति से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

(iii) अवशेष अन्य सभी योजनाओं में से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में पंचायत सचिव / टैक्स दारोगा या अन्य सक्षम कर्मी के द्वारा एवं शेष योजनाओं में जिलों के द्वारा लाभुकों को भुगतान किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

(i) सभी पेंशन योजनाओं, मृत्योपरांत देय अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

(ii) बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र–योजना के अंतर्गत एम.आई.एस. की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत एवं निवारण हेतु हेल्प डेस्क तथा एम.आई.एस. की व्यवस्था की गयी है। शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

अधिसूचना संख्याः–03/यो0–26/2017/5725 पटना, दिनांक : 27/11/2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. पेंशन सहायता योजनाएँ:

केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित पेंशन योजनाओं तथा राज्य सरकार की पेंशन सहायता योजनाओं का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के वृद्ध, निःशक्त तथा विधवाओं को आर्थिक अनुदान एवं सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केन्द्र संपोषित योजना है जिसके अंतर्गत पेंशन संबंधी निम्नवत तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं जिसका कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर–सक्षम के माध्यम से किया जा रहा है:

- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना,

उपर्युक्त केंद्र संपोषित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले वृद्ध, निःशक्त तथा विधवाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाता है जिसकी विवरणी निम्नवत है:

- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना

राज्य के अंतर्गत कार्यान्वित सभी पेंशन सहायता योजनाओं के लिए अलग–अलग पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैं–

1 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

प्राप्त राशि: इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60–79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू. 400 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू. 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त: बी.पी.एल. परिवार के सदस्य एवं 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

2 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

प्राप्त राशि: इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40–79 वर्ष है उस विधवा महिला को रू. 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त: बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40 वर्ष या अधिक हो वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

3 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि :शक्तता पेंशन योजना

प्राप्त राशि: बी.पी.एल. परिवार के 18–79 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

Scanned by CarbonScanner

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के सदस्य एवं 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र।

4 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

प्राप्त राशि : इस योजना के अंतर्गत आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं वार्षिक आय रू. 60,000 या उससे कम हो, बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त : जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं वार्षिक आय रू. 60,000 या उससे कम हो वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

5 बिहार नि :शक्तता पेंशन योजना

प्राप्त राशि : किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त : किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति इस योजना के तहत आच्छादित होंगे।

सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना है।

सभी प्रखंडों में प्राप्त सभी आवेदन प्रत्येक दिन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना तंत्र सोशल सिक्यूरिटी पेंशन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (SSPMIS) को प्राप्त होती है। प्राप्त सूचना के अलावा स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जो भी सूचनाएँ प्रासंगिक हैं, उन सबको प्रखंड के संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा SSPMIS में इंट्री कर दी जाती है तथा प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों को SSPMIS में उपलब्ध डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कैन करके सुरक्षित रूप में संधारित किया जाता है। तत्पश्चात, इसे सत्यापन के लिए संबंधित पंचायत सचिव को दिया जाता है। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा प्रपत्र को पुनः SSPMIS पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा तथा संधारित दस्तावेजों के आलोक में बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाती है तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से SSPMIS पर की जाती है। ऑनलाइन स्वीकृत करने के उपरांत स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि के साथ स्वतः निर्गत हो जाता है साथ ही इसकी सूचना यदि लाभुक का मोबाईल संख्या संधारित हो तो उसके मोबाईल पर भी दी जाती है।

स्वीकृति उपरांत लाभुकों की जानकारी स्वतः इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एम.आई.एस. से ई–लाभार्थी पोर्टल पर वेब सर्विस के माध्यम से अपलोड की जाती है। SSPMIS के द्वारा दिनांक 26.11.2017 के बाद ही प्राप्त आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इससे पूर्व के आवेदनों को विभिन्न चरणों में ई–लाभार्थी पोर्टल पर प्रत्यक्ष रूप से संधारित किया गया है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक एवं आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता और आधार कार्ड में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं। बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

ई–लाभार्थी पोर्टल पर प्राप्त नये आवेदनों को प्रत्येक माह के 7 तारीख तक नियमित रूप से PFMS को बैंक खाता आदि सत्यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अथवा उसके अधिकृत संस्थाओं सक्षम / एन.आई.सी. द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिपूर्ण पाये गये आवेदनों में त्रुटि सुधार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब किया जायेगा और इसके लिए आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिरहित पाए गए लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा और तभी उन्हें पेंशन भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा।

सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रक्रिया के तहत लाभुको को किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लाभुकों के द्वारा उपलब्ध कराये गए खाता संख्या के आधार पर PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे पेंशन की राशि का भुगतान राज्य स्तर से ही किया जाता है।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Randomly/Cross-Check करेंगे और त्रुटि पाए जाने पर उसका निवारण कराकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुनः लॉक कराकर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा जिसे उनके द्वारा सम्यक परीक्षण / सत्यापन के पश्चात ई–लाभार्थी पोर्टल पर लॉक कर अग्रसारित किया जायेगा।

प्रत्येक माह की 10 तारीख के उपरांत ई–लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थियों की विवरणी को शुद्ध एवं अद्यतन मानते हुए उन्हें पूर्ववर्ती माह तक का पेंशन भुगतेय होगा। भविष्य में लाभार्थियों की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रथम दृष्टया उसकी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की मानी जाएगी और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन भुगतान यथासंभव त्रैमासिक / मासिक होगा। पेंशन भुगतान हेतु इस निर्दिष्ट चक्र (त्रैमासिक / मासिक) में विहित माह / अवधि हेतु ई–लाभार्थी पोर्टल से लाभार्थियों की विवरणी के आलोक में राज्य स्तर से निदेशालय के निदेश के आलोक में NIC के माध्यम से पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी एवं PFMS पोर्टल के सर्वर पर अपलोड किया जायेगा और PFMS से समन्वय बनाये रखा जायेगा ताकि किसी समस्या / त्रुटि का निराकरण अविलम्ब हो सके।

PFMS से पेमेंट फाईल के सत्यापनोपरांत उसे यथाशीघ्र निदेशालय स्तर से अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा PFMS पर अनुमोदित करते हुए Ready for Payment अर्थात भुगतान हेतु तैयार किया जायेगा।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा।

DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाइल वस्तुतः Paid फाइल बन जायेगा जिसकी हार्ड कॉपी को प्रत्येक प्रखंड / पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

"सक्षम" कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी तथा Paid फाइल, अन्य सुसंगत विवरणी आदि की Soft Copy CD/DVD एवं Cloud में Backup रखेगी। साथ ही Hard copy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

Scanned by CarbonScanner

किसी लाभार्थी की मृत्यु अथवा ई–लाभार्थी पोर्टल में त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उसके वसूली सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक की होगी। पूरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाणक देने की जिम्मेवारी सक्षम (DBT) कोषांग की होगी।

राज्य एवं केन्द्र संपोषित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा निरंतर अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा इसके साथ ही साथ नियमित अनुश्रवण "सक्षम" कार्यालय में गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोषांग (DBT CELL) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा तथा राज्य स्तर से जाँच दल द्वारा भी अनुश्रवण कार्य किया जाएगा।

सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अब DBT प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभुक के खाते में राज्य स्तर से सक्षम के DBT CELL द्वारा PFMS पोर्टल पर उपलब्ध सूची को अधिकृत पदाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने के उपरांत हस्तांतरित किया जाता है। इस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन MIS / ई–लाभार्थी / PFMS से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर ही सक्षम द्वारा 42-A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सम्बन्ध में शिकायत निवारण हेतु एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है (https://grievance.sspmis.in) जिसपर लाभुक स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अथवा टोल फ्री नं. 18003456262 पर फोन कर हेल्पडेस्क के माध्यम से निःशुल्क अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर में ही यह व्यवस्था की गई है की संबंधित पदाधिकारी को प्रतिदिन ई–मेल पर शिकायत से संबंधित लंबित प्रतिवेदन की सूची उपलब्ध हो तथा इसके निरंतर फॉलोअप हेतु जिला स्तर पर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

2. मासिक सहायता योजनाएँ एवं मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

मासिक सहायता योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभुको को मासिक आधार पर आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो योजनाएँ सम्मिलित हैं जिनका सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर–सक्षम के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। मासिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में दो योजनाओं यथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना संचालित है। साथ ही समाज के गरीब परिवारों के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के आलोक में अन्त्येष्टि करने तथा परिवार के लिए आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 3 अन्य योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना सम्मिलित है।

Scanned by CarbonScanner

राज्य के अंतर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगियों तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एड्स रोगियों के लिए संबंधित योजना का लाभ लेने के लिए निम्नवत योग्यता एवं शर्तें निर्धारित की गई है:

1 **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना**

प्राप्त राशि : रू. 1,500/–

योग्यता/शर्त : Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी।

2 **बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना**

प्राप्त राशि : रू. 1,500/–

योग्यता/शर्त : 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एड्स रोगी।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का लाभ लेने के लिए निम्नवत योग्यता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं:

(i) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना**

प्राप्त राशि : रू. 20,000/–

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।

(ii) **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना**

प्राप्त राशि : रू. 20,000/–

योग्यता/शर्त : किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने पर उसके भारित परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

(iii) **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना**

प्राप्त राशि : रू. 3,000/–

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर, उसकी अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुको को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड में जमा किया जायेगा। इसी प्रकार बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति का आवेदन विहित प्रपत्र में बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी कार्यालय में जमा किया जाता है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना से संबंधित आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के आवेदन की स्वीकृति बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में RTPS केन्द्र पर प्रखंड कार्यालय में आवेदन किया जाना है तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए सादे कागज में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जाना है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत सादे कागज पर मुखिया/वार्ड कमिश्नर को आवेदन दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है।

Scanned by CarbonScanner

सामाजिक सहायता छत्र योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त सम्मिलित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यालय के अंतर्गत DBT CELL द्वारा विकसित एवं संचालित ई–सुविधा पोर्टल पर उक्त योजनाओं के लाभुको की स्वीकृति उपरांत जिला/प्रखंड स्तर से संधारित करना सुनिश्चित किया जाना है।

ई–सुविधा पोर्टल के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए Beneficiary Management System विकसित किया गया है जिस पर स्वीकृत किये गए लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि पैरेंट्स–चाईल्ड मोड से भुगतान हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सके।

ई–सुविधा पर सभी संबंधित योजनाओं के लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता के साथ संधारित की जाएगी तथा लाभुकों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जायेगा और उन्हें भुगतान हेतु अनुमोदित किया जायेगा। विदित हो कि सभी योजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन/मांग के आलोक में जिलावार राशि के लिए Limit का निर्धारण तथा उसे बढ़ाने के लिए DBT कोषांग, सक्षम को अनुरोध किया जा सकता है। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। ई–सुविधा पोर्टल पर जिला/प्रखंड के स्तर से की गई लाभुकों की इंट्री में आवश्यक रूप से उसके स्वीकृति से संबंधित आदेश को (PDF File) के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत यदि आवश्यक हो तो भुगतानोपरांत राशि की विवरणी उपलब्ध कराने पर उतनी राशि उसी खाता में Reimbursement के रूप में भेज दी जाएगी।

लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा। भुगतान के लिए प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो ले कि पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है। Digital Signature/E-Sign की सुविधा उपलब्ध होने तक सहायक निदेशक द्वारा ई–सुविधा पर लॉक किये गए डाटा को ही रेडी फॉर पेमेंट मानते हुए राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि नियमित रूप से ई–सुविधा पोर्टल में लाभार्थियों की विवरणी विशेषकर बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में मृत लाभुक के Deletion की प्रक्रिया नियमित रूप से सम्यक परीक्षण/सत्यापन के पश्चात ई–सुविधा पोर्टल पर लॉक कर Digital Signature/E-Sign करना सुनिश्चित करेंगे।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा। DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाइल वस्तुतः Paid फाइल बन जायेगी जिसकी Hardcopy को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

''सक्षम'' कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया

Scanned by CarbonScanner

का संधारण करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही Hardcopy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

ई–सुविधा पर सम्मिलित योजनाओं की इंट्री तथा लाभुक को होने वाले भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत है:

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से उसका बैंक खाता और आई.एफ.एस. कोड है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। प्रथम विकल्प के तहत प्रखंड से योग्य लाभुक की विवरणी स्वीकृत आदेश के साथ बैंक खाता की विवरणी सहित ई–सुविधा पर इंट्री की जाएगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से लॉक एवं Digital Signature/E-Sign किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। द्वितीय विकल्प के तहत लाभुक को भुगतान करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि Reimbursement की मांग करते हैं तो भी ई–सुविधा के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाईल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृत तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई.एफ.एस. कोड है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

Scanned by CarbonScanner

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। इसके आलोक में आवश्कतानुसार नया बैंक खाता खोलने या आधार में संशोधन करने की पूरी व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और त्रुटि–सुधार कैंप का भी आयोजन नियमित रूप से किया जायेगा। जिन लाभुकों का खाता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी का खाता संख्या इंट्री किया जा सकता है एवं उसी खाता में राशि का भुगतान किया जायेगा ताकि वैसे सभी लाभुकों को लाभ प्रदान किया जा सके।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी पंचायत सचिव तथा नगर निकाय क्षेत्र में सभी टैक्स दारोगा अथवा अन्य प्राधिकृत सरकारी कर्मी द्वारा मृत्यु उपरांत लाभुकों से संबंधित विवरणी समेकित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापनोपरांत जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ई–सुविधा पर संधारित की जाएगी।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये गए बैंक खाता संख्या में किया जायेगा। वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है किन्तु राशि Reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी। सहायक निदेशक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त सत्यापित सूची को ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री करना सुनिश्चित किया जायेगा।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान सीधे लाभुक को न होकर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के बैंक खाता में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत/नगर निगम के खाता में देय होगा। इसके लिए वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है किन्तु राशि Reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्धारित मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से मृत व्यक्ति की विवरणी के साथ हस्ताक्षरित प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सूची को सहायक निदेशक के कार्यालय से ई–सुविधा में इंट्री की जाएगी तथा लॉक एवं Digital Signature/E-Sign करते हुए भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंट्रीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से पंचायत/नगर निकाय/नगर निगम के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

3. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

समाज के गरीब परिवारों के विकलांग महिला/पुरुषों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दो योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसे विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करते है तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

राज्य के अंतर्गत कार्यान्वित मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:

छत्र/योजना का नाम

1. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना)

देय राशि : रू. 1,00,000/–

पात्रता : अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन विवाह के लिए प्रत्येक दिव्यांग को अनुदान देय होगा। अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों में पात्रता होने पर दोनों के लिए अनुदान देय होगा।

योजनाओं के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करना होगा तथा इसके स्वीकृति पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा भुगतान हेतु ई–सुविधा पोर्टल पर संचारित की जायेगी।

मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ई–सुविधा पर लॉक एवं Digital Signature/E-Sign किये गए लाभुक के लिए बैंक के पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में आवश्यक राशि क्रेडिट होगी। तदोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अनुरोध एवं बैंक एडवाइस के आधार पर विहित लाभुक के नाम से 3 साल के अवधि के लिए Fixed Deposit तैयार कर लाभुक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिपक्वता के उपरांत लाभुक को ब्याज सहित कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा संबंधित बैंक के बचत खाता में उपलब्ध होगा।

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु एक नयी योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू. 400 (चार सौ) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रू. 500 (पाँच सौ रुपये) का मासिक पेंशन देय होगा तथा जो वित्तीय वर्ष 2019–20 अर्थात 01.04.2019 से भुगतेय होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 92.50 लाख वृद्धजन होंगे जिसमें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता लगभग 56 लाख वृद्धजन ही होंगे। इस प्रकार राज्य के अवशेष 36.50 लाख वृद्धजन ऐसे हैं जिन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु साम्प्रति कोई पेंशन का लाभ सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं है।

3. वर्णित परिस्थिति में इन वृद्धजनों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमान्य दर एवं प्रक्रिया के सदृश्य ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में दर एवं प्रक्रिया अनुमान्य होगा।

4. इस योजना के सफल संचालन हेतु 1 प्रतिशत आकस्मिकता मद में राशि व्यय होगी तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1,800.00 (एक हजार आठ सौ) करोड़ का व्यय भार संभावित है।

5. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत लाभार्थी विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर प्रखण्ड कार्यालय स्थित RTPS काउन्टर पर जमा कर तय समय सीमा के अंदर योजना का लाभ ले सकते हैं।

6. इस योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय होंगे।

7. इस योजना के लिए अलग बैंक खाता 'सक्षम' में संधारित होगा, जिससे इस योजना के लिए State Lavel DBT के द्वारा nodal account से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकता है। समाज कल्याण विभाग को भुगतान प्रक्रिया आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

9. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा ज्ञापांक 85 / लो.वि. / यो.वि., पटना दिनांक 15.02.2019 द्वारा एवं मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या–03 / यो.–03 / 2019 के पृष्ठ संख्या–05 / टि. पर दिनांक 18.02.2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पटना, दिनांक : 26 / 02 / 17

अधिसूचना संख्या: 03 / यो.–03 / 2019 / 1247

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्य तथ्यः

बिहार में सामाजिक स्तर पर वृद्धजनों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाज में इनका विकास भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार वृद्धजनों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए प्रतिबद्ध है तथा इनके समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही उनके लिए राज्य में बेहतर सामाजिक वातावरण के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार ने वृद्धजनों के सशक्तिकरण तथा विकास के लिए न केवल नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं बल्कि विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भी इस दिशा में सार्थक प्रयास किये हैं। राज्य सरकार वृद्धजनों के लिए भारतीय संविधान में निहित प्रवधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है उनसे जुड़े मुद्दों को रेखांकित करते हुए उनके विकास तथा सशक्तिकरण की राह में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए संकल्पित है।

वर्ष 2011 के जनसँख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में वृद्धजनों की जनसँख्या 12 करोड़ से भी अधिक है। बिहार में भी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा 2011 के जनसँख्या के अनुसार अर्थात 55 लाख से भी ज्यादा वृद्धजन निवासित हैं। वृद्धजनों की वर्तमान संख्या लोगों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि तथा वृद्धि दर के आंकड़ों के आलोक में संभवतः 90 लाख से भी अधिक की है जिसमें से अभी भी 36 लाख से अधिक लाभुक वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। वृद्धजनों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए समाज कल्याण विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से एक ओर जहाँ उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए सकारात्मक सहयोग दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास एवं आवासन, स्वास्थ्य की देखभाल, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु मार्गदर्शन आदि के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुये राज्य के सभी आय वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों/समुदायों के 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न पेंशन योजनाओं से वंचित राज्य के वृद्धजनों को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समान रू. 400 मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही 80 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजनों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुरूप रू. 500 मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

किसी भी आय वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरूष मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त पेंशनधारी सरकारी कर्मियों को छोड़कर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। सभी प्रखंडों में प्राप्त सभी आवेदन प्रत्येक दिन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सुचना तंत्र सोशल सिक्यूरिटी पेंशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SSPMIS) को प्राप्त होगी। प्राप्त सुचना के अलावा स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जो भी सूचनाएँ प्रासंगिक हैं उन सबको प्रखंड के संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा SSPMIS में इंट्री की जायेगी तथा प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों को SSPMIS में उपलब्ध डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कैन करके सुरक्षित रूप में संधारित किया जायेगा। तत्पश्चात पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुसंशा तथा संधारित दस्तावेजों के आलोक में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी की

Scanned by CarbonScanner

अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से SSPMIS पर की जायेगी। ऑनलाइन स्वीकृत करने के उपरांत स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि के साथ स्वतः निर्गत होगा साथ ही इसकी सूचना यदि लाभुक का मोबाइल संख्या संधारित हो तो उसके मोबाइल पर भी दी जायेगी।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक एवं आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता और आधार कार्ड में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं। बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

ई–लाभार्थी पोर्टल पर प्राप्त नये आवेदनों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियमित रूप से PFMS को बैंक खाता आदि सत्यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अथवा उसके अधिकृत संस्था/सक्षम/एन.आई.सी. द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिपूर्ण पाए गये आवेदनों में त्रुटी सुधार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब किया जायेगा और इसके लिए आवश्यकतानुसार त्रुटी सुधार कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटी रहित पाए गए लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा और तभी उन्हें पेंशन भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रक्रिया के तहत लाभुकों को किया जाना है। इस प्रक्रिया में लाभुकों के द्वारा उपलब्ध कराये गए खाता संख्या के आधार पर PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे पेंशन की राशि का भुगतान राज्य स्तर से ही किया जायेगा।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Randomly/ Cross-Check करेंगे और त्रुटी पाए जाने पर उसका निवारण कराकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुनः लॉक करा के Digital Signature/E-Sign किया जाए जिसे उनके द्वारा सम्यक परिक्षण/सत्यापन के पश्चात लॉक/फ्रीज कर अग्रसारित किया जायेगा।

प्रत्येक माह की 10 तारीख के उपरांत ई–लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थियों की विवरणी को शुद्ध एवं अद्धतन मानते हुए उन्हें पूर्ववर्ती माह तक का पेंशन भुगतेय होगा। भविष्य में लाभार्थियों की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर प्रथम दृष्टया उसकी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की मानी जाएगी और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन भुगतान यथासंभव त्रैमासिक/मासिक होगा। पेंशन भुगतान हेतु इस निर्दिष्ट चक्र (त्रैमासिक/मासिक) में विहित माह/अवधि हेतु लाभार्थियों की विवरणी के आलोक में राज्य स्तर से निदेशालय के निदेश के आलोक में पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी एवं PFMS पोर्टल के सर्वर पर अपलोड किया जायेगा और PFMS से समन्वय बनाये रखा जायेगा ताकि किसी समस्या/त्रुटि का निराकरण अविलम्ब हो सके।

PFMS से पेमेंट फाईल के सत्यापनोपरांत उसे यथाशीघ्र निदेशालय स्तर से अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा PFMS पर अनुमोदित करते हुए Ready for Payment अर्थात भुगतान हेतु तैयार किया जायेगा।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाईल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा।

DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाईल वस्तुतः Paid फाईल बन जायेगा जिसके Hardcopy को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

"सक्षम" कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करान सुनिश्चित करेगी तथा Paid फाईल, अन्य सुसंगत विवरणी आदि की Soft Copy CD/DVD एवं Cloud में Backup रखेगी। साथ ही Hardcopy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

किसी लाभार्थी की मृत्यु अथवा त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उसके वसूली सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक की होगी। पुरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाणक देने की जिम्मेवारी सक्षम (DBT) कोषांग की होगी।

राज्य एवं केन्द्र संपोषित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अनुश्रवण का कार्य प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा निरंतर किया जाएगा इसके साथ ही नियमित अनुश्रवण "सक्षम" कार्यालय में गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोषांग (DBT CELL) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त "नियमित रूप से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा तथा राज्य स्तर से जाँच दल द्वारा भी अनुश्रवण कार्य किया जाएगा।

सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अब DBT प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभुक के खाते में राज्य स्तर से सक्षम के DBT CELL द्वारा PFMS पोर्टल पर उपलब्ध सूची को अधिकृत पदाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने के उपरांत हस्तांतरित किया जाता है। इस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन MIS/ई–लाभार्थी/PFMS से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर ही सक्षम द्वारा 42–A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में शिकायत निवारण हेतु एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है (https://grievance.sspmis.in) जिसपर लाभुक स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अथवा टोल फ्री नं. 18003456262 पर फोन कर हेल्पडेस्क के माध्यम से निःशुल्क अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर में ही यह व्यवस्था की गई है की संबंधित पदाधिकारी को प्रतिदिन ई–मेल पर शिकायत से संबंधित लंबित प्रतिवेदन की सूची उपलब्ध हो तथा इसके निरंतर फॉलोअप हेतु जिला स्तर पर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

Scanned by CarbonScanner